संख्या- 62 /2018/2418 /अइतीस-5-2018-8 बजट/2018 टी0सी0- II

प्रेषक,

अच्छे लाल सिंह यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-5

लखनऊः दिनांक 6 जुलाई, 2018

विषयः वित्तीय वर्ष 2018-19 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन0आर0डी0डब्लू0पी0) के अन्तर्गत धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में। (अनुदान संख्या-81)

महोदय,

उपर्युक्त विषय में अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के पत्रांक 454/डब्लू -409(Corr. iv) /2017-18, दिनांक 07 जून, 2018 एवं पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार के स्वीकृति आदेश संख्या- डब्लू-11020/3/2018/वाटर-I, दिनांक 07 मई, 2018, एवं आदेश संख्या जी-11011/4/2018/वाटर-I/19, दिनांक 08 मई, 2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अनुदान संख्या-81 में कुल रू0 200.00 लाख का बजट प्रावधान उपलब्ध है। अतएव उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2018-2019 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश की धनराशि में से प्रावधानित बजट की सीमा तक अर्थात रू0 200.00 लाख (रूपये दो करोड़ मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति योजनान्तर्गत निम्नलिखित विवरण/ शर्तो/ प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैः-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	पेयजल कार्यक्रम के घटक	भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश	अनुमन्य केन्द्रांश	अनुमन्य राज्यांश	उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष निर्गत केन्द्रांश	स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
81	JE/AES (STC)	40.180	40.180	40.180	40.180	40.180
	Coverage/Normal Component(STC)	163.290	163.290	163.290	159.820	159.820
		योग	203.470	203.470	200.00	200.00

(रूपये दो करोड़ मात्र)

(I) धनराशि का व्यय राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

(II) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर योजनान्तर्गत निर्धारित खाते में जमा की जायेगी और यदि इस धनराशि पर कोई व्याज अर्जित होता है उसे निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराने का दायित्व वित्तीय सलाहकार, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन का होगा।

(III) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपित आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

(IV) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वस्तुतः जिन मदों हेतु अवमुक्त की जा रही है, उन्हीं मदों में इसका व्यय अनुमन्य होगा। अन्य किसी मद में किये जाने वाला व्यय अनुमन्य नहीं होगा।

(V) स्वीकृत की जा रही धनराशि से सामग्री आदि के क्रय हेतु सामग्री क्रय सम्बन्धी संगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया / व्यवस्थाओं का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(VI) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना के दिशा-निर्देशों के अधीन तथा केन्द्रांश स्वीकृत विषयक भारत सरकार के आदेश संख्या- डब्लू-11020/3/2018/वाटर-I, दिनांक 07 मई, 2018, एवं आदेश संख्या जी-11011/4/2018/वाटर-I/19, दिनांक 08 मई, 2018 में निर्दिष्ट निर्देशानुसार एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत निर्धारित मदों में किया जायेगा तथा किसी अन्य योजना में द्विरावृत्ति न हो।

(VII) प्रश्नगत कम्पोनेन्ट में पूर्व अवमुक्त / स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्तीय सलाहकार, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा सम्बनित कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन / भारत सरकार को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(VIII) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

(IX) उक्त वित्तीय स्वीकृति पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार के स्वीकृति आदेशों एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -1/2018 /बी-1-375/दस-2018-231/ 2018 दिनांक 30-03-2018 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या - 3/2018 /बी-1-438/दस-2018-231/ 2018 दिनांक 24-04-2018 में उल्लिखित शर्तो / प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(X) धनराशि के आहरण के सम्बन्ध में मितव्ययता सम्बन्धी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(XI) उक्त स्वीकृत धनराशि अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा कोषागार से आहरित कर भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रोग्राम फण्ड/ सपोर्ट फण्ड में जमा की जायेगी एवं यथावश्यकता सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त की जायेगी।

(XII) शासनादेश में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन में तैनात वित्त नियंत्रक/ वित्तीय सलाहकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा तथा यदि कोई विसंगति हो तो शासन को तत्काल सूचित किया जाएगा।

(XIII) अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन/ भारत सरकार तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को उपलब्ध कराया जाएगा।

3- शासनादेशों में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन में तैनात वित्त नियंत्रक/ वित्तीय सलाहकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

4- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्यक के अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक 4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय 01-जलपूर्ति-796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना -01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ -0101- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन0आर0 डी0डब्लू0पी0) (के050/रा050-के0+रा0)-24- बृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- यू0ओ0-ई-2-724/ दस-2018 दिनांक 04 जुलाई, 2018 द्वारा उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अच्छे लाल सिंह यादव)
विशेष सचिव।

संख्याः 62 /2018/ 2418 (1)/अड़तीस-5-2018-27 बजट/2017 IV, तद्दिनांक।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) निदेशक (जल), पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, 9वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली, को उनके उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 7 मई, 2018 एवं 8 मई, 2018 के क्रम में।
(2) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम /द्वितीय, उ0प्र0।
(3) महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम /द्वितीय , उ0प्र0, इलाहाबाद।
(4) निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
(6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) निदेशक, पेयजल एवं स्वच्छता सहयोग संगठन, लखनऊ।
(8) नियोजन अनुभाग-4 / ग्राम्य विकास अनुभाग-3।
(9) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-2।
(10) विशेष कार्याधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
(11)गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र मिश्र)
अनु सचिव।